बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 30/08/25

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा श्रीमती रागिनी कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मोतिहारी के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 986 दिनांक 20.02.2025 से विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग से संदर्भित मामले की जाँच करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्रीमती रागिनी कुमारी पर अवैध खननकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतना प्रतिवेदित किया गया है। जाँच में जाँच स्थल पर पाया गया कि जे0सी0बी0 एवं दोनो ट्रैक्टर द्वारा संयुक्त रूप से बलुआही मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन व्यवसाय के लिए किया जा रहा था। अवैध खनन के नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करना, बिना व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन के पकड़े गये जे0सी0बी0 तथा दो ट्रैक्टरों के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई न करके जमीन स्वामित्व का बहाना लेकर मामले को 10 दिन तक जान–बूझ कर टालना श्रीमती रागिनी कुमारी का यह कृत्य अपने पदीय दायित्व का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं करना तथा अवैध वसूली से संबंधित है।

2. श्रीमती रागिनी कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मोतिहारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 3867 दिनांक 15.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्रीमती रागिनी कुमारी द्वारा दिनांक–28.07.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती रागिनी कुमारी से प्राप्त लिखित अभिकथन में जमीन के स्वामित्व का बहाना लेकर मामले को 10 दिनों तक जान–बूझ कर टालने के संबंध में जो तर्क दिया गया है, समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्रीमती रागिनी कुमारी प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पायी गयी हैं। श्रीमती रागिनी कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्रीमती रागिनी कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मोतिहारी तथा** प्रस्तुतीकरण/ उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती रागिनी कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्रीमती रागिनी कुमारी हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjay\arop/Sankalp

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–प्र0–III–रा0(विविध)–01 / 2025–................... / एम0, पटना, दिनांक.................
प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मोतिहारी–सह–संचालन पदाधिकारी / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्रीमती रागिनी कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति खनिज विकास पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–III–रा0(विविध)–01 / 2025–................... / एम0, पटना, दिनांक.................
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–III–रा0(विविध)–01 / 2025–................... / एम0, पटना, दिनांक.................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–III–रा0(विविध)–01 / 2025–4885 / एम0, पटना, दिनांक 30/08/25
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

29/08/25

सरकार के अपर सचिव

29.8.25

D:\Sanjay\arop/Sankalp